राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

स्वास्थ्य प्रबन्धन आवश्यक

क्रमांकः NRHM/RCH-II/JSY/08/440 दिनांकः 03/09/08

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

<u>कारण बताओ नोटिस</u>

विषयः—जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव होने पर प्रसूता को 24 घंटे तक संस्था पर ठहरने एवं डिस्चार्ज पूर्व प्रोत्साहन राशि का भुगतान चैक द्वारा किये जाने के क्रम में।

राज्य में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव होने पर प्रसूताओं को प्रसवोपरान्त कम से कम 24 घंटे तक संस्था पर रखा जावे एवं प्रसवोंपरान्त डिस्चार्ज करने से पूर्व प्रोत्साहन राशि का भुगतान चैक द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य प.क. विभाग के पत्र क्रमांक पी.एस./पी.एच.एस./2007/24 दिनांक 11.01.2008 एवं निदेशक (आरसीएच) पत्र क्रमांक एनआरएचएम/आरसीएच–।।/जेएसवाई/08/344 दिनांक 15.07.2008 के द्वारा आदेश जारी किये गये थे तथा गत तीन सालों में चेतना यात्रा के दौरान भी हर गांव में इसका प्रचार प्रसार किया गया है तथा गत दो वर्षों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को राज्य स्तरीय मिटिंगों में एवं संभाग स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारियों की मिटिंग में इन निर्देशों की पालना करवाने हेतु अनेक बार पाबन्द किया गया है।

परन्तु राज्य के उच्च स्तर के अधिकारियों के निरिक्षण के दौरान यह पाया गया है, कि अधिकांश प्रसूताओं को 5 से 6 घंटे पश्चात् ही बिना प्रोत्साहन राशि का भुगतान किये डिस्चार्ज कर दिया जाता है जिसकी वजह से अधिकांश महिलाओं में प्रसव से सम्बन्धित जटिलताओं (कॉम्पलीकेशन्स) के कारण महिलाओं की मृत्यु तक की सूचनाऐं भी मिल रही है एवं भुगतान हेतु महिलाओं को बारबार संस्था पर आना पडता है तथा विलम्ब से भुगतान के कारण योजना पर विपरीत प्रभाव पड रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में यदि 24 घंटे से पूर्व किसी भी प्रसूता को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के बिना डिस्चार्ज किया जाता है तो ऐसी

स्थिति में दो वेतन वृद्धियां सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र की प्रसाविका की रोक कर दण्डित किया जायेगा। अतः प्रसूता को प्रसवोपरान्त 24 घंटे चिकित्सालय मे ठहरने एवं डिस्चार्ज से पूर्व भुगतान चैक द्वारा किये जाने के आदेशों की अनुपालना कठोरता से किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं प.क. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः **NRHM/RCH-II/JSY/08/**440 दिनांकः 03/09/08

प्रतिलिपीः—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव (प.क.) एवं मिशन निदेशक—एन.आर.एच.एम, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं समस्त जिला लेखा प्रबंधक।
7. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथिमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं प.क. विभाग,
राजस्थान, जयपुर